The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] No. 95] नई दिस्स्नी, शुक्रवार, मार्च 2, 2001/फाल्गुन 11, 1922

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 2001/PHALGUNA 11, 1922

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2001

सं. फेमा 40/2001-आर बी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गमन) (संशोधन) विनियमावली, 2001

सा. का. नि. 157(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा 3 के खण्ड(ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक, 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 19/आर बी 2000 के आंशिक संशोधन में भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1(क) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन)(संशोधन)विनियमावली, 2001 कहा जायेगा।

(ख) ये तत्काल लागू होंगे।

(1)

656 GI 2001

- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में
- अ) विनियम 6 के,
- क उप विनियम (2) में
- i) खण्ड (i) के लिए निम्नलिखित खण्ड को प्रस्थापित किया जाये, यथा:-
- " संयुक्त उद्यमों/संपूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगियों में भारतीय पार्टी की किसी एक वित्तीय वर्ष में कुल वित्तीय वचनबध्दता नेपाल, भुटान और पाकिस्तान में निवेश को छोड़कर 50 दशलक्ष अमेरिकी डालर अथवा उसके समकक्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए:"

बशर्ते म्यान्मार और सार्क देशों (नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के अलावा) में संयुक्त उद्यमों/संपूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगियों में वचनबध्दता के संबंध में किसी एक वित्तीय वर्ष में इस प्रकार की वचनबध्दता के लिए सीमा 25 दशलक्ष अमेरिकी डालर अथवा उसके समकक्ष से बढायी जानी चाहिए:"

- ii) खण्ड (ii) के लिए निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाये , यथा:-
- " नेपाल अथवा भूटान में प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में किसी एक वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपयों में कुल वित्तीय वचनबध्दता 350 करोड़ भारतीय रुपयों से अधिक नहीं होनी चाहिए ; "
- iii) खण्ड (i,v) को इटा दिया जाये।
- (ख) उप-विनियम (3) में
- i) खण्ड (iii) के लिए निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाये, यथा :-
- "ii) पडीआर/जीडीआर के निर्गम से जुटायी गई राशि का भारतीय पार्टी द्वारा उपयोग"
- (ग) उप विनियम 6 में परंतुक (बी) को हटा दिया जाये।
- आ) विनियम 8 में
- (i) उप विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाये, यथा:-
- "(1) विदेशी करेन्सी परिवतनीय बाण्डों और साधारण शेयरों के (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के जरिए) निर्गम के लिए योजना, 1993 और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी मार्गदर्शी सिध्दान्तों के अनुसार डालडी में जारी एडीआर/जीडीआर के

आदान प्रदान में उसी तरह की स्थायी गतिविधि में लगी विदेशी कंपनी के शेयर भारतीय पार्टी अर्जित कर सकते हैं; बशर्ते

- (क) भारतीय पार्टी ने पहले ही एडीआर और/अथवा जीडीआर निर्गम को जारी किया है और ऐसे एडीआर/जीडीआर भारत के बाहर किसी स्टाक एक्सचेंज पर वर्तमान में सूचीबध्द है;
- (ख) भारतीय पार्टी द्वारा ऐसे निवेश निम्निलिखित राशियों से अधिक नहीं होनी चाहिए;
 यथा :-
- (i) 10 दशलक्ष अमेरिकी डालर के समकक्ष की राशि, अथवा,
- (ii) पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय पार्टी के निर्यात अर्जन उसी वित्तीय वर्ष में इस खण्ड के (i) के अधीन मिलाकर भाग I में विनियमों के अधीन किये गये सभी निवेशों को शामिल उसके लेखा परिक्षित तुलनपत्र में व्यक्त किये गये अनुसार 10 गुना के समकक्ष की राशि।
- ग) अर्जन के उद्देश हेतु एडीआर और/अथवा जीडीआर के निर्गम भारतीय पार्टी द्वारा जारी पूर्वताप्राप्त नये हक्विटी शेयरों से समर्थित है;
- घ) नये पड़ीआर और/अथवा जीडीआर निर्गम के बाद विस्तारित पूँजी आधार में भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा भारतीय पार्टी में कुल धारता ऐसे निवेश के लिए संबंधित विनियमों के अधीन निष्ठित क्षेत्रीय नियंत्रणा (सेक्ट्रोल कैप) से अधिक नहीं होनी चाहिए ;
- विदेशी कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है;
 - निवेश बैंकर की सिफारिशियों के अनुसार यदि शेयर किसी स्टाक एक्सचेंज
 पर सूचीबध्द नहीं है, अथवा
 - आ) विदेशों कंपनी के चालू बाजार पूँजीकरण के आधार पर जो विदेश में किसी स्टाक एक्सचेंज पर तीन माह के लिए अर्जन हेतु वचनबध्द माह से प्रारंभ, मासिक औसत मूल्य के आधार पर और निवेश बैंक से अन्य मामलों में उनके देय उद्यम रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार प्रिमियम के अतिरिक्त, यदि कोई, घटित हुओ है।
 - अ) विनियम 9 के बाद निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाये, यथा:-

'' 9ए रिजर्व बैंक द्वारा एकमुश्त आबंटन ''

(1) रिजर्व बैंक भारतीय पार्टी को विदेशी मुद्रा के एकमुश्त आबंटन की मंजूरी, जो विनियम 6 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत उनके लिए उपलब्ध सीमा समाप्त

- हुआ है और उसके लिए आवेदन करने पर तथा आवश्यक समझे गये ऐसे शतों और नियमों के अधीन होगी।
- (2) उप विनियम (1) के अंतर्गत किये गये आवेदन पर विचार करने के लिए रिजर्व बैंग विनियम 9 के उप-विनियम (3) में उल्लिखित कारकों का ध्यान रखेगा।"
- र्ष) विनियम 12 के उप विनियम (3) में "विनियम 10" शब्दा के लिए " विनियम 11" शब्दों को प्रतिस्थापित करें।
- आगाके बाद निम्नलिखित भाग जोड़ा जाएं, यथा :-

''भाग I - ए ''

भारत में किसी फर्म द्वारा विदेश में निवेश

17ए भारत में किसी फर्म द्वारा विदेश में निवेश

- (1) भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पात्रकृत भारत में कोई फर्म विदेश में उस सीमा तक और भाग I में विनिर्दिश तरीक से निवेश करने के लिए अनुमति हेतु रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकता है।
- (2) रिजर्व बैंक विनियम 9 के उप-विनियम (3) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यसक समझे गये ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान करेगा।

17बी रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना साझेदारी फर्म द्वारा निवेश

(1) भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अधीन पंजीकृत साझेदारी फर्म जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यावसायिक सेवाओं को उपलब्ध कराने में लगी हुआ है, उसी प्रकार की गतिविधि में लगी हुआ विदेशी संस्थाओं में भारत से विप्रेषण और/अथवा शुल्क ऐसे विदेशी संस्थाओं से उनको देथ अन्य हक्कदारी के पूँजीकरण के मार्ग से निवेश कर सकता है।

बशर्ते कि

- क) ऐसे निवेश एक वित्तीय वर्ष में एक दशलक्ष अमेरिकी डालर अधवा उसके समकक्ष के अधिक नहीं है.
- ख) निवेशकर्ता फर्म संबंधित अखिल भारतीय व्यवसायिक संब/निकाय, का सदस्य है; और

- ग) निम्नलिखित से अन्तर्विष्ट एक रिपोर्ट रिज़र्व बैंकों प्राधिकृत व्यापारी के जरिए ऐसे निवेश कियं जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया गया है"
- (i) निवेशकर्ता फर्म का नाम, पूरा पता, पंजीकरण और सदस्यता के ब्यौरें.
- (ii) विदेश निवेश के पूर्ण ब्यौरें
- (iii) विप्रेषण की तिथि और राशि/शुल्कों के पूँजीकरण/निवेशकर्ता फर्म को देय अन्य इक्षदारी की राशि
- (iv) विदेशी संस्था का नाम और पता उसकी गतिविधि प्रकार के साथ
- (v) पहचान संख्या, यदि रिजर्व बैंदर ने पहले ही आबंटित की है।
- क) विनियम 19 के उप विनियम (2) के परंतुक में खण्ड (बी) के लिए निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाये, यथा :-
- " (बी) खरीद के लिए प्रतिफल किसी एक कैलण्डर वर्ष में 20,000 अमेरिकी डालर अथवा उसके समकक्ष से अधिक नहीं है, और "
- ए) अनुसूची I के लिए निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाये, यथा :-

''अनुसूची (देखें विनियम 17 बी)

रिकार्व बैंक के पूर्वानुमित के बिना विदेश में निवेश हेतु पात्र पंजीकृत साझेदारी फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यावसायिक सेवाओं की सूची

- 1. सनदी लेखा-विधि
- 2. विधि पेशा और संबंधित सेवाएं
- 3. सूचना प्राद्योगिकी और मन-बहलाव साफ्टवेअर से संबंधित सेवाएं
- 4. चिकित्सा और आरोग्य देख-रेख सेवाएं "

[फा. सं. 1/23/ई सी/2000] डी. पी. सारडा, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd March, 2001

No. FEMA. 40/2001-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2001

- G. S. R. 157(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No. FEMA 19/RB-2000 dated May 3, 2000, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:—
- 1. (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2001.
 - (b) They shall come into force with immediate effect.
- In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security)
 Regulations, 2000,
 - (A) in Regulation 6,
 - (a) in sub-regulation (2),
 - i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely-

"The total financial commitment of the Indian Party in Joint Ventures/Wholly Owned Subsidiaries shall not exceed US\$50 million or its equivalent in any one financial year, except investment in Nepal, Bhutan and Pakistan.

Provided that in respect of commitment in Joint Ventures/Wholly Owned Subsidiaries in Myanmar and SAARC countries (other than Nepal, Bhutan and Pakistan), the ceiling shall be increased by US\$25 million or its equivalent in any one financial year, in respect of such commitment:"

ii) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"In respect of direct investment in Nepal or Bhutan, in Indian rupees the total financial commitment shall not exceed Indian Rupees 350 crores in any one financial year;"

- iii) clause (iv) shall be deleted.
- (b) in sub-regulation (3),
 - i) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-
 - " (iii) utilisation of the amount raised by issue of ADRs/GDRs by the Indian Party;"
- (c) in sub-regulation (6), proviso (b) shall be deleted.

(B) in Regulation 8,

- i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
 - "(1) An Indian Party may acquire shares of a foreign company, engaged in the same core activity, in exchange of ADRs/GDRs issued to the latter in accordance with the scheme for issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993, and the guidelines issued thereunder from time to time by the Central Government;

Provided that

- (a) the Indian Party has already made an ADR and/or GDR issue and that such ADRs/GDRs are currently listed on any stock exchange outside India;
- (b) such investment by the Indian Party does not exceed the higher of the following amounts, namely: -
 - (i) amount equivalent of US\$ 100 mn., or
 - (ii) amount equivalent to 10 times the export earnings of the Indian Party during the preceding financial year as reflected in its audited balance-sheet, inclusive of all investments made under Regulations in Part I, including under (i) of this clause, in the same financial year,
- (c) the ADR and/or GDR issue for the purpose of acquisition is backed by underlying fresh equity shares issued by the Indian Party;
- (d) the total holding in the Indian Party by persons resident outside India in the expanded capital base, after the new ADR and/or GDR issue, does not exceed the sectoral cap prescribed under the relevant regulations for such investment:

- (e) the valuation of the shares of the foreign company is made, -
 - (A) as per the recommendations of the Investment Banker if the shares are not listed on any stock exchange; or
 - (B) based on the current market capitalization of the foreign company arrived at on the basis of monthly average price on any stock exchange abroad for the three months preceding the month in which the acquisition is committed and over and above, the premium, if any, as recommended by the Investment Banker in its due diligence report in other cases"
- (C) after Regulation 9, the following Regulation shall be inserted, namely:-

" 9A Block allocation by Reserve Bank

- (1) Reserve Bank may, on application made to it, approve, subject to such terms and conditions as considered necessary, a block allocation of foreign exchange to an Indian Party which has exhausted the limit available to it under sub-regulation (2) of Regulation 6.
- (2) For considering the application made under sub-regulation (1), the Reserve Bank may take into account the factors mentioned in sub-regulation (3) of Regulation 9."
- (D)in Regulation 12, in sub-regulation (3), for the words "Regulation 10", the words "Regulation 11" shall be substituted.
- (E) after Part I, the following Part shall be inserted, namely: -

"Part IA

Investments abroad by a firm in India

17A Investments abroad by a firm in India

- (1) A firm in India registered under the Indian Partnership Act, 1932, may apply to the Reserve Bank for permission to invest abroad to the extent and in the manner specified in Part I
- (2) Reserve Bank may, after taking into account the factors specified in sub regulation (3) of Regulation 9, grant permission subject to such terms and conditions as are considered necessary.

17B Investments by partnership firm without prior approval of Reserve Bank

(1) A partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 which is engaged in providing professional services specified in the Schedule, may make investment in foreign concerns engaged in similar activity, by way of remittance from India and/or capitalization of fees/other entitlements due to it from such foreign concerns

Provided that:-

- a. such investments do not exceed US\$ 1 (one) million or its equivalent in one financial year,
- b. the investing firm is a member of the respective All India professional organization/body; and
- c a report containing (i) name, full address, registration and membership particulars of the investing firm, (ii) full details of investment abroad, (iii) date and amount of remittance/amount of capitalization of fees/other entitlements due to the investing firm, (iv) name and address of the foreign concern together with its line of activity, (v)identification number, if already allotted by the Reserve Bank, is submitted to the Reserve Bank through the authroised dealer within 30 days of making such investments."
- (F) in Regulation 19, in sub-regulation (2), in the proviso, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -
 - " b) the consideration for purchase does not exceed US\$ 20,000 or its equivalent, in any one calendar year."
 - (G) for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely:-

"Schedule

(See Regulation 17B)

List of professional services provided by Registered partnership firms eligible for investment Abroad without prior approval of the Reserve Bank

- 1. Chartered Accountancy
- 2. Legal practice and related services
- Information Technology and Entertainment Software related services
- 4. Medical and healthcare services"

[F. No. 1/23/EC/2000]

D. P. SARDA, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2001

सं. फेमा 41/2001-आर बी

सा. का. नि. 158(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा 3 के खण्ड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक, 3 मई, 2000 की उसकी अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में निम्नानुसार संशोधन करता है, यथा :—

- (1) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गमन)(संशोधन) विनियमावली, 2001 कहा जायेगा।
 (2) ये तत्काल लागू होंगे।
- 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध(भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में ,
 - (i) अनुसूची I में पैरा 4 के बाद निम्निखित पैरा जोड़ा जाये, यथा :
 " 4प भारत में पंजीकृत चलाल भारत के बाहर निवासी व्यक्ति की ओर से
 एडीआर/जीडीआर में खरीदे गये इस प्रकार के शेयरों के परिवर्तन के प्रयोजन
 हेतु भारतीय कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। "

बशर्त कि

i) शेयर मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज से खरीदे गये हैं :

- ii) भारतीय कंपनी ने पडीआर/जीडीआर जारी किया है:
- iii) शेयर संबंधित भारतीय कंपनी के एडीआर/जीडीआर के अभिरक्षक की अनुमति से खरीदे गये है और उन्हें अभिरक्षक के पास जमा किया गया है।
- iv) इस प्रकार से खरीदे गये शेयरों की संख्या पूर्वताप्राप्त शेयरों में परिवर्तित पडीआर/जीडीआर से अधिक नहीं होनी चाहिए और यथा लागू क्षेत्रीय नियंत्रण (सेक्ट्रोल कैप) के अधीन हो ;
- v) अनिवासी निवेशक, दलाल, अभिरक्षक और विदेशी निक्षेपागार ने विदेशी करेन्सी परिवर्तनीय बाण्डों और साधारण शेयरों (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के जरिए) योजना 1993 के लिए योजना के उपबंधों का और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार हारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिध्दान्तों का अनुपालन किया है।
- 4बी (i) भारतीय कंपनी उसके शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों पर विदेशी निक्षेपागार के साथ शीर्ष प्रबंधक ने निर्धारित किये गये मूल्य पर एडीआर/जीडीआर के निर्गम को प्रायोजित कर सकता है।
 - (ii) निर्गम आगमों को भारत को एक माह की अवधि के भीतर प्रत्यावर्तित किया जाना होगा।
 - (iii) प्रायोजक कंपनी को विदेशी करेन्सी परिवर्तनीय बाण्डों और साधारण शेयरों (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के जिए योजना 1993 के लिए योजना के उपबंधों का और उसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिध्यान्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
 - (iv) प्रायोजक कंपनी को ऐसे निर्गमों के पूर्ण क्यौरों को अनुबंध सी में विनिर्दिष्ट फार्म में "सी" में विदेशी निवेश प्रभाग, विदेशी मुद्रा निवंत्रण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को निर्गम समाप्ति निधि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 - ii) अनुसूची 2 के पैरा 1 के उप-पैरा (4) के परंतुक में " 40 प्रतिशत " आंकड़े और शब्दों के लिए "49 प्रतिशत" आंकड़े और शब्दों को प्रतिस्थापित करें।

[फा. सं. 1/23/ई सी/2000] डी. पी. सारडा, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd March, 2001

No. FEMA. 41/2001-RB

- G. S. R. 158(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in partial modification of its Notification No FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a person resident out side India) Regulations, 2000, as amended from time to time, namely:—
- 1. (1) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2001.
 - (2) They shall come into force with immediate effect.
- 2. In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000,
 - (i) in Schedule 1, after paragraph 4, the following paragraphs shall be added, namely:
 - "4A. A registered broker in India may purchase shares of an Indian Company on behalf of a person resident outside India, for the purpose of converting the shares so purchased into ADRs/GDRs,

Provided that

- the shares are purchased on a recognized stock exchange;
- ii) the Indian company has issued ADRs/GDRs;
- the shares are purchased with the permission of Custodian of the ADRs/GDRs of the concerned Utidian company and are deposited with the Custodian;

- iv) the number of shares so purchased shall not exceed ADRs/GDRs converted into underlying shares and shall be subject to sectoral caps as applicable;
- the non-resident investor, broker, Custodian and the overseas depository comply with the provisions of the Scheme for Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 and guidelines issued thereunder by the Central Government from time to time.
- (4B) i) An Indian company may sponsor an issue of ADRs/GDRs with an overseas depository against shares held by its shareholders at a price to be determined by the Lead Manager.
- ii) The proceeds of the issue shall be repatriated to India within a period of one month.
- iii) The sponsoring company shall comply with the provisions of the Scheme for Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 and guidelines issued thereunder by the Central Government from time to time;

- iv) the sponsoring company shall furnish full details of such issue in a form specified in Annexure C to the Foreign Investment Division, Exchange Control Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai within 30 days from the date of closure of the issue."
- ii) in Schedule 2, in paragraph 1, in sub paragraph (4), in the proviso, for the figure and words "40 per cent", the figure and words "49 per cent", shall be substituted.

[F. No. 1/23/EC/2000] D. P. SARDA, Executive Director